मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः10.07.2024

“ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत मुर्गी फार्म से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा-बैटरी, टीवी, डीबीआर व सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर चोरी करने के अभियोग से सम्बन्धित आरोपी को करायी गयी 11 माह 23 दिन के साधारण कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा —

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देश पर चलाये जा रहे अभियान “ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत "पीयूष मोर्डिया" अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन, वाराणसी के निर्देशन में, "आर.पी.सिंह" पुलिस महानिरीक्षक विन्ध्याचल परिक्षेत्र मीरजापुर के नेतृत्व में “सोमेन बर्मा” वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मीरजापुर द्वारा जनपद में महिला सम्बन्धित अपराध सहित लूट,हत्या,डकैती,धर्म परिवर्तन,गोवध अधिनियम व अन्य जघन्य अपराधों में प्राथमिकता के आधार पर लगातार गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन की सशक्त एवं प्रभावी पैरवी करायी जा रही है।

उक्त अभियान के क्रम में थाना चुनार पर मुर्गी फार्म से इलेक्ट्रॉनिक उपकरण यथा-बैटरी, टीवी, डीबीआर व सीसीटीवी को क्षतिग्रस्त कर चोरी करने से सम्बन्धित पंजीकृत अभियोग में पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी करते हुए गवाहों को मा0न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही करायी गयी । अभियोजन अधिकारी-एपीओ जितेन्द्र यादव, विवेचक-उपनिरीक्षक नरेन्द्र कुमार यादव, पैरोकार-आरक्षी अजय कुमार व कोर्ट मुहर्रिर-मुख्य आरक्षी संजय चौहान व सोहराब अली द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी । जिसके परिणाम स्वरूप मा0न्यायालय प्रथम अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मीरजापुर-पल्लवी सिंह द्वारा थाना चुनार पर पंजीकृत मु0अ0सं0-215/2024 धारा 305,317(2),324(4) बीएनएस से सम्बंधित अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ कबाड़ी मुसहर पुत्र बाबूलाल निवासी चनईया टोला डाला थाना चोपन जनपद सोनभद्र(हालपता-गोबरदहां थाना चुनार जनपद मीरजापुर) को 11 माह 23 दिन के साधारण कारावास एवं ₹ 1000/- के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी, अर्थदण्ड अदा न करने की दशा में एक सप्ताह के साधारण कारावास की सजा भुगतनी होगी।